न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

करण संख्या 100 / 2019
यरी दिनांक : 09.04.2019

उनवान

1 प्रकाशचन्द्र पिता लादूलाल तेली निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2 दाखी पत्नी लादूलाल तेली निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1 राजीबाई बेवा राधाकिशन तेली निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2 सम्पत पिता नंदलाल तेली निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3 रामचन्द्र पिता नंदलाल तेली निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4 प्यारचन्द पिता गोकल तेली निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री जी0एल0 आचार्य (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री देवेन्द्र पोरवाल(अधिवक्ता प्रार्थीगण 2 एवं 3)
3. अप्रार्थी संख्या 1 एवं 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
4. अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार माण्डलगढ़।

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 01.08.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे सह खाते की **ग्राम बडी तलहटी प0ह0 माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित खाता संख्या 68 की आराजी संख्या 65, 66, 67, 68 कुल किता 04 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजियात के पड़ौसी है जो आये दिन सीमाओ को लेकर एवं फसल काश्त करते समय, काटते समय विवाद करते रहते है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नही रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है। नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र पोरवाल ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही की गई।

Scanned by CamScanner

पत्रावली में संलग्न **जमाबंदी सम्वत 2073—76** के अवलोकन से प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। चूंकि प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमी की पत्थरगढ़ी कराने हेतु निवेदन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर **ग्राम बडी तलहटी प0ह0 माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित खाता संख्या 68 की आराजी संख्या 65, 66, 67, 68 कुल किता 04 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि** बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू—अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। **कमिश्नर फीस 500/—** रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/— रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ़ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्वर से कम हो ।

आदेश सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned by CamScanner